आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) अधिनियम – 2006

राज्य के भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के तीव्र विकास एवं निजी प्रक्षेत्र की भागीदारी तथा प्रारूपण, वित्त पोषण, निर्माण, परिसंचालन, रख–रखाव आदि से सम्बद्ध विषयों का सांगोपांग अधिनियम का प्रावधान ताकि प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब कम करने एवं विशेष परियोजना जोखिम चिन्हित करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय – I

प्रारंभिकी

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । –** (1) यह अधिनियम बिहार आधारभूत संरचना विकास (एनेबलिंग) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) (क) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

(ख) यह अधिनियम ऐसी सभी आधारभूत संरचना परियोजनाओं जो अधिनियम के अनुसूची 3 में वर्णित है, जो लोक – निजी क्षेत्र की सहभागिता से कार्यान्वित हो और ऐसे प्रक्षेत्रों जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत समय–समय पर अधिसूचित हो, पर लागू होगा। यह अधिनियम ऐसे आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों के संयुक्त प्रक्षेत्र में हो या राज्य या केन्द्र सरकार के कोई वैधानिक निगम निकाय या राज्य एवं केन्द्र सरकार के हो या ऐसे आधारभूत संरचना परियोजना जो निजी क्षेत्र में अधिग्रहित किये गये हो, या राज्य या केन्द्र सरकार या सरकारी एजेंसी या कोई वैधानिक निकाय या सरकारी कम्पनी या ऐसी परियोजना जो सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अलग रखने हेतु अधिसूचित हो या ऐसी परियोजना जिसमें नया या अतिरिक्त निवेश निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा किया जा रहा हो।

2. **परिभाषाएं** । –(क) अधिनियम– "अधिनियम" का तात्पर्य बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) अधिनियम, 2006 से होगा।

(ख) "आधारभूत परियोजना" से तात्पर्य है वैसे परियोजना, जो अधिनियम के अन्तर्गत

सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ग) "सरकार" का अर्थ बिहार सरकार से होगा।

(घ) ''सरकारी एजेन्सी'' से अभिप्रेत है – सरकार का कोई विभाग या कोई निगम या निकाय जिसमें सरकारी अंशदान 51 प्रतिशत से कम न हो। (पेड–अप–शेयर)

(ड.) "सर्वोत्तम प्रयास" का तात्पर्य है परिस्थितियों में किये गये सर्वोत्तम प्रयास।

(च) "निविदा–दाता" का तात्पर्य है वैसी संस्था (ऐन्टीटी) जो निजी सहभागितों (जिसमें कन्सोरटियम भी सम्मिलित है) के अन्तर्गत आधारभूत संरचना परियोजना के लिये निविदा प्रस्तुत किया हो।

(छ) ''निविदा देने वाले संयुक्त संस्था'' से अभिप्रेत है, परियोजना के लिये एक से अधिक संस्था द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया प्रस्ताव।

(ज) "परियोजना की कोटि" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अनुसूची–।। में उल्लिखित कोटि और वैसी कोटि जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

(झ) "आधारभूत" से अभिप्रेत है लोक निर्माण कार्य जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग से आधारभूत सुविधा का निर्माण किया जाना।

(ञ) "सदस्य" का अर्थ आधारभूत प्राधिकार के सदस्य से होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्राधिकार के अन्य सभी सदस्य शामिल है।

(ट) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है बिहार राज्य गजट में प्रकाशित अधिसूचना तथा अधिसूचित शब्द तदनुसार समझा जायगा।

(ठ) व्यक्ति की परिभाषा में किसी कम्पनी अथवा संघ अथवा व्यक्तियों के समूह जो निकायरूप में हो, या न हो, सम्मिलित होगा।

(ड) ''दुरूपयोग दण्ड" से अभिप्रेत है, ऐसे दण्ड जो आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा किसी परियोजना का कार्यान्वयनकर्त्ता पर लगाया गया दण्ड या परियोजना के कार्यान्वयनकर्त्ता द्वारा किसी तरह का, समझौता के अन्तर्गत दिया गया हक/अधिकार का परियोजना के विकास, कार्यान्वयन, परिचालन, रख–रखाव, प्रबंधन या आधारभूत संरचना परियोजना के, देय सुविधा समझौता या सरकार द्वारा निर्धारित समझौता के अनुरूप हस्तांतरण के क्रम में किये गये दुर्व्यवहार के लिए दंड।

(ढ) "कम्पनी" का अर्थ है, किसी संस्था जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित या भारत के किसी विधि या किसी अन्य देश के विधि के तहत स्थापित संस्था।

(ण) "रियायती एकरारनामा" से अभिप्रेत है, अनुसूची–। में विनिर्दिष्ट प्रकार के अनुरूप राज्य सरकार या राज्य सरकार के एजेन्सी या स्वशासित स्थानिक निकाय एवं परियोजना विकासकर्त्ता के बीच किसी आधारभूत संरचना परियोजना से संबंधित संविदा या ऐसा निविदा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो।

(त) "विवाचक बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा – 32 के अधीन स्थापित विवाचक बोर्ड।

(थ) "विकास कर्त्ता" से अभिप्रेत है, कोई भी निजी क्षेत्र के भागीदार जो आधारभूत संरचना परियोजना के लिये राज्य सरकार या सरकारी एजेन्सी या अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकार के साथ संविदा किया हो।

(द) "जनजोखिम" से अभिप्रेत है, ऐसी परिस्थितियाँ जहां किसी परियोजना के विकास या परियोजना के भागीदार के हित या सरकारी या सरकारी एजेन्सी स्थानीय प्राधिकार से कुप्रभावित करने की तथा निर्माण अवधि से संबंधित जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, मार्केट तथा राजस्व जोखिम, वित्त जोखिम, वैधानिक जोखिम तथा विभिन्न प्रकार के जोखिम जो अधिनियम की अनुसूची–IV में उल्लिखित हो।

(ध) ''सरकारी कम्पनी'' से अभिप्रेत है, कोई कम्पनी जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकारें या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा हिस्सा–पूँजी में योगदान किया गया हो तथा जो 51 प्रतिशत से कम न हो। इसमें ऐसी कम्पनी सम्मिलित हैं जो किसी सरकारी कम्पनी की अनुसंगी इकाई के रूप में परिभाषित हो।

(न) ''निवेश'' से अर्थ है कि प्रारंभिक एवं पूर्व परिसंचालन के व्यय, पूँजीगत व्यय, भूमि एवं उपकरण के लीज, निर्माण अवधि का सूद, प्रशासनिक व्यय, परिसंचालन एवं रख–रखाव व्यय जिसमें उपयोगिता शुल्क की वसूली भी सम्मिलित हो।

(प) ''प्राथमिककृत परियोजना'' से अभिप्रेत है, आधारभूत संरचना परियोजना प्राधिकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जो प्राथमिककृत हो।

(फ) ''निजी क्षेत्र के भागीदार'' से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी एजेन्सी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों या किसी वैधानिक निकाय या प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकार या कोई निगम या कम्पनी जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी एजेन्सी, वैधानिक निकाय या प्राधिकार या स्थानीय निकाय का अंशदान 51 प्रतिशत से कम न हो, से भिन्न व्यक्ति।

(ब) ''निर्धारण'' से अर्थ है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम या नियमन द्वारा निर्धारण।

(भ) ''पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप'' से अभिप्रेत है, निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा सरकारी एजेन्सी या स्थानीय प्राधिकार के आधारभूत संरचना परियोजना में निवेश।

(म) ''विनियमन'' का अर्थ है कि अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत निर्गत विनियमन।

(य) ''उत्तरदायी बीड'' से अभिप्रेत किसी बीडर से प्राप्त बीड जो निविदा या अन्य कोई दस्तावेज में निर्धारित शर्त्तो को पूरा करते हो।

(र) ''नियम'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत बनाया गया नियम।

(ल) “स्थानीय निकाय” का अर्थ नगर निगम या नगर पालिका या नगर पर्षद, या कोई पंचायत या कोई अन्य संवैधानिक निकाय जो निर्वाचित अथवा नियुक्त हो।

(व) “निर्माण” का अर्थ कोइ निर्माण, पुर्ननिर्माण, पूनर्वास, सुधार, विस्तार समावेश, बदलाव एवं इससे संबंधित कार्य एवं क्रिया कलापों जिसमें मशीनों की आपूर्ति, सामग्रियों, श्रम एवं सेवा से संबंधित बनाने के लिये किसी आधारभूत परियोजना जिसमें भौतिक ढांचा या पद्धति या सामग्री या संसाधनों का उपयोग या सेवाओं के लिए प्रावधान सम्मिलित हो।

(श) “प्रक्षेत्र” से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन अनुसूची–III के अर्न्तगत अधिसूचित हो या यथा समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्षेत्र।

(ष) “प्रक्षेत्र नियामक” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रक्षेत्र या प्रक्षेत्रों के लिए अधिसूचित नियामक।

(स) “एकल विड” से अभिप्रेत है जब प्रतिस्पर्धाहीन विडिंग प्रक्रिया में एक ही उत्तरदायी विड सरकारी एजेन्सी या स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राप्त हो।

(ह) “राज्य” से अभिप्रेत है बिहार राज्य।

(क्ष) “राज्य समर्थन” से अभिप्रेत है राज्य द्वारा प्रशासनिक समर्थन, परिसम्पति पर आधारित, राजस्व छूट की सुविधायें, अधिनियम के अनुसूची–ट में वर्णित गारंटी या वित्तीय समर्थन, विकासकर्त्ता को देकर आकस्मिक कन्टीजेन्ट देयता वहन की कार्रवाई।

(त्र) “स्वीस चैलेंज अप्रोच” से अभिप्रेत है जब निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा (मूल परियोजना प्रस्तावक) द्वारा आयाचित, स्वत : प्रस्ताव समर्पित किया जाता हो और प्रारूप कॉन्ट्रेक्ट सिद्धांत कोटि–II के परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिया जाता हो, जो सरकारी एजेन्सी या स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया हो और सरकारी एजेन्सी या स्थानीय प्राधिकार द्वारा उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रति प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हो। मूल परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव एवं संविदा सिंद्धांत किसी इच्छुक आवेदकों को उपलब्ध कराये जायेगें, लेकिन मूल प्रस्ताव में सन्निहित स्वामित्व सूचना गोपनीय रखी जायेगी और प्रकाशित नहीं की जायेगी। इससे आवेदको को मूल परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तावों से अच्छा प्रस्ताव देने का अवसर मिलेगा। अगर सरकार द्वारा स्पर्धात्मक प्रति प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव को आकर्षक पाया गया तो मूल परियोजना प्रस्तावक को स्पर्धात्मक प्रति प्रस्ताव के समतुल्य प्रस्ताव देकर परियोजना लेने का अवसर दिया जायगा। अगर मूल परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिक आकर्षक एवं स्पर्धात्मक प्रति प्रस्ताव के समान आकर्षक प्रस्ताव नहीं दिये जाने की स्थिति में वैसे निजी क्षेत्र के भागीदार जिन्होंने अधिक आकर्षक स्पर्धात्मक प्रति प्रस्ताव दिये हो उन्हें परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी दी जायेगी।

(ज्ञ) “आयाचित या स्वतः दिये गये प्रस्ताव” से अभिप्रेत है ऐसे परियोजना प्रस्ताव से जिसका प्रारंभ सरकार या सरकारी एजेंन्सी द्वारा नहीं किया हो और वैसे प्रस्ताव जो निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा सरकारी एजेन्सी या स्थनीय प्राधिकार को राज्य के किसी अधारभूत संरचना संबंध में परियोजना विशिष्टीकरण, तकनीकी, वाणिज्यक एवं वित्तीय संभाव्यता सूचना सहित दिये जायेगे और ऐसे परियोजना को कार्यान्वयन के संबंध में निजी क्षेत्र के भागीदार के वित्तीय एवं तकनीकी योग्यता का प्रथम द्रष्टव्या प्रमाण सहित प्रस्ताव जिसमें निजी क्षेत्र के भागीदार के संरचना का पूर्ण व्योरा एवं उनके वित्तीय एवं व्यवसायिक पृष्टभूमि का पूर्ण व्योरा हो।

(अ) "उपभोक्ता शूल्क" से अभिप्रेत है विकासकर्त्ता को सरकारी एजेन्सी या स्थानीय प्राधिकार द्वारा निवेश तथा उसपर उचित रिर्टन की वसूली का अधिकार या शक्ति जिसमें टौल, शूल्क किसी प्रकार का भार या लाभ सन्निहित हो।

(आ) "लीड कन्सारटियम" से अभिप्रेत है बीडींग कन्सारटियम के मामले में वैसे सदस्य जिन्हें परियोजना के विकास का प्रमुख दायित्व निहित हो और ''कन्सारटियम'' में वे 26 प्रतिशत हिस्सा पूंजी के कम का धारक न हो तथा अन्य ''कन्सारटियम'' सदस्यों में से अधिकतम हिस्सा पूंजी धारक हो। अगर दो या दो से अधिक सदस्य अधिकतम हिस्सा पूंजी रखते हो, तो उस स्थिति में ''बिडिंग कन्सोरटियम'' द्वारा स्पष्टतः अंकित किया जायेगा कि किस सदस्य को प्रमुख ''कन्सोरटियम'' सदस्य माना जाएगा और वैसे अंकित या नामित सदस्य प्रमुख ''कन्सारटियम सदस्य'' होगें।

(इ) "वित्त पोषक" से अभिप्रेत है किसी वित्तीय संस्थान या ऐन्टीटी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत परियोजना के कार्यान्वयन या पूरा करने हेतु विकासकर्त्ता को प्रतिभूति या प्रतिभूति रहित अग्रिम या वित्तीय सहायता देते हो।

(ई) "लिंकेज आधारभूत संरचना परियोजना" से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत किसी परियोजना के लिये निकटतम राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग के लिये पथ सम्पर्क, जल परिवहन सम्पर्क, रेल सम्पर्क या निकटतम व्यवहारित जल संसाधन से जल परिवहन सम्पर्क, जिसमें वर्तमान में अवस्थित पाईप लाईन या नहर या जल श्रोत या निकटतम व्यवहारिक मल परिचालन लाईन या मल शुद्धिकरण केद्र हो।

(उ) "मेगा आधारभूत संरचना परियोजना" के अर्थ से हे अधिनियम के अन्तर्गत लोक–निजी सहभागिता से किये जानेवाले या कार्यान्वित किये जाने वाले परियोजना जिसके लिए आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा निवेश की सीमा निर्धारित हो।

(ऊ) "स्थानीय विधि" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विधि एवं राज्य के लिए लागू होने वाली विधि छोड़कर शेष विधियाँ।

(ए) "बिना लाभ के संस्था" से अभिप्रेत है निजी संस्था जिसका गठन वाणिज्यक , कला, विज्ञान, धर्म, उदारता उद्धेश्य के लिए बना हुआ हो और संस्था अपने आप को उनके उद्धेश्यों के प्रोत्साहन के लिए वहन करता हो, और अपने सदस्यों को कोई भी लाभांश का भुगतान नही करता हो और अपनी निधि या आय को सदस्यों या कार्यवाहको द्वारा या अन्य किसी कम्पनी जिसमें इन्हें संबंध हो, द्वारा विचलन या उपयोग करने नही देता हो।

(ऐ) "प्रदूषण दंड" से अभिप्रेत है वैसे शुल्क जो आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा किसी विकासकर्त्ता पर लगाया गया हो अगर किसी विकासकर्त्ता द्वारा वातावरण को प्रदूषित किया जाता है या सरकार या सरकारी एजेन्सीयों, स्थानीय प्राधिकार के साथ किये गये कन्ट्रेक्ट के अनुरूप कार्य नहीं करते हो या आधारभूत संरचना परियोजना प्राधिकार या सरकारी एजेन्सी या स्थानीय प्राधिकार द्वारा निर्गत नोटिस तिथि के प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर वातावरण को प्रदूषित करने की कार्रवाई को बंद नहीं करते हों।

अध्याय – II

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का स्थापना, कार्य संचालन एवं कर्मी आधारभूत प्राधिकार का गठन

3. **संगठन**। – (1) राज्य सरकार के अधिनियम के लागू होने की तिथि या उसके बाद किसी भी तिथि के प्रभाव से अधिसूचना द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का गठन हो सकेगा।

(2) ऐसा प्राधिकार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के रूप में माना जायेगा।

(3) उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित एक निगम निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्ताधिकार तथा सामान्य मुहर होगा तथा उसे चल एवं अचल दोनों सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और उसको बिक्रय तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

4. **संरचना** । – (i) ऐसे प्राधिकार के अध्यक्ष सरकार के मुख्य सचिव तथा उपाध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे। प्राधिकार में एक अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों सहित सदस्यों की संख्या–15(पंद्रह) से अधिक नहीं होगी।

(ii) प्राधिकार का एक प्रबंध निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकार के अन्तर्गत उसके बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियामक पर्षद में निम्नांकित पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगेः–

1 – निदेशक वित्त

2 – निदेशक परियाजना कार्यान्वयन

3 – निदेशक प्रशासन

(iii) प्राधिकार के पदेन सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

(क) औद्योगिक विकास आयुक्त, उद्योग विभाग, बिहार, पटना;

(ख) सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना;

(ग) उद्धयोग प्रक्षेत्र के दो प्रतिनिधि,

(घ) सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना,

(ड़) सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना;

(च) सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना,

(छ) सरकार द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ।

5. **सेवा–अवधि**। – पदेन सदस्य को छोड़ कर अन्य सदस्यों की सेवा अवधि सरकार के प्रसाद पर्यन्त होगी।

6. **सेवा–शर्त्त**। – प्राधिकार के सदस्यों की सेवा शर्तें, मानदेय एवं भत्ते इत्यादि का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित विहित रीति से किया जायेगा।

7. **बैठक**। – प्राधिकार की बैठक, समय, स्थान, प्रक्रिया, व्यवसाय व्यवहार से संबंधित प्रक्रिया, गणपूर्त्ति इत्यादि का निर्धारण, विनियम द्वारा किया जायेगा।

8. **नियुक्ति**। – प्राधिकार कार्य की आवश्यकता के अनुरूप पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो अधिनियम में वर्णित कृत्यों के लिए आवश्यक हो।

9. **समिति का गठन**। – (1) प्राधिकार द्वारा समय–समय पर ऐसे सदस्यों की समिति या ऐसे समितियों का गठन कर सकेगी जो विनियम में प्रावधानित हो।

(2) प्राधिकार ऐसे क्षेत्रों यथा, बैंकिंग, वाणिज्य, उद्योग, पर्यावरण, कानून, टेक्नोलोजी से संबंधित व्यक्तियों को या सरकार द्वारा मनोनित व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत समय–समय पर कार्यों के कुशल संचालन के लिये आमंत्रित कर सकेगा।

10. **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का कार्यकलाप । –** आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:–

(i) राज्य सरकार के उद्देश्य के अनुकूल परियोजना की परिकल्पना एवं परियोजना की पहचान;

(ii) सरकार या सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने एवं उसपर विचार।

(iii) परियोजना के संबंध में सरकार या सरकार के अभिकरण या स्थानीय निकाय को परामर्श देना तथा अनुशंसा या सुझाव देना।

(iv) परियोजना के लिये सरकारी विभागों एवं सरकारी अभिकरण के साथ समन्वय करना;

(v) कोटि–।। के परियोजना के स्पर्धा बीडींग प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं त्रुटियों के निराकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराना;

(vi) परियोजना को सार्थक बनाने की व्यवस्था;

(vii) परियोजना को प्राथमिकता एवं श्रेणीबद्धता प्रदान कर परियोजना बैंक तैयार करना;

(viii) परियोजना विकास के लिये रोड मैप तैयार करना;

(ix) परियोजना के अंतर प्रक्षेत्र लिंकेज की पहचान करना;

(x) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश तैयार करना;

(xi) परियोजना के वित्तीय सहायता पर निर्णय एवं आकस्मिक देयता के आवंटन का अनुमोदन करना;

(xii) विधिक प्रावधानों को लागू करने एवं विधिक का लक्ष्य पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाना;

(xiii) कोटि–II की परियोजनाओं के लिये परामर्शी कार्य शर्त्तें तथा परामर्शी चयन प्रक्रिया का अनुमोदन;

(xiv) कोटि–II के परियोजना के लिये बीड दस्तावेज, जोखिम वहन सिद्धान्त एवं बीड

प्रक्रियाओं की अनुशंसा तथा अनुमोदन;

(xv) स्वतः दिये गये प्रस्तावों या "स्वीस चेलेन्ज एप्रोच" के माध्यम से लिये गये परियोजना के पैमाना एवं विस्तार का अनुमोदन तथा गैर वित्तीय प्रकृति के संसाधन की अनुशंसा करेगा;

(xvi) परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित विषयो का निष्पादन;

(xvii) किसी परियोजना के लिये आवश्यक स्वीकृति के लिये समय सीमा का निर्धारण;

(xviii) समय–समय पर स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर स्वीकृति नहीं दिया गया हो उस स्थिति में स्वीकृति देना;

(xix) उपभोक्ता शुल्क से संबंधित विषयों के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण तथा शुल्क लगाने, संसाधन, संग्रहण या नियंत्रण इत्यादि प्रक्रियाओं पर निर्णय देना और उपभोक्ता शुल्क से संबंधित वाद–विवादों का निष्पादन;

(xx) प्रक्षेत्रीय नीतियों एवं आदर्श संविदा सिद्धान्तों के अनुमोदन;

(xxi) अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये मार्गदर्शन निर्गत करना एवं या उसमें संशोधन करना;

(xxii) प्रक्षेत्र नियामक के साथ समन्वय;

(xxiii) कोष एवं परिसम्पत्तियों का प्रबंधन करना;

(xxiv) सरकार, सरकारी अभिकरण एवं स्थानीय निकायों के साथ परियोजनाओं के संचालन हेतु समन्वय;

(xxv) परियोजना के कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन का समुचित पर्यवेक्षण करना या समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना;

(xxvi) जनमत संग्रह करना;

(xxvii) समय–समय पर निर्धारित शुल्क, कर, टॉल एवं भार का निर्धारण तथा इनकी वसूली के लिये प्रावधान करना;

(xxviii) विकासकर्त्ता से दुर्व्यवहार एवं प्रदूषक भार का निर्धारण एवं वसूली;

(xxix) अपनी प्रक्रियाओं को नियमित करने के लिये विनियमों का निर्धारण;

(xxx) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने एवं अधिनियम के उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना;

(xxxi) औद्योगिक क्षेत्र विकास से संबंधित भूमि अधिग्रहण, भूमि आवंटन एवं इस अधिनियम के नियमावली के प्रावधानों या राज्य सरकार के निदेश के अनुसार भूमि आवंटन रद्द करने की कार्रवाई।

(xxxii) औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन करना।

(xxxiii) प्राधिकार से संबंधित वादों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना।

(xxxiv) प्राधिकार क्षेत्र विकास एवं अन्य योजनाओं के विकास से संबंधित शूल्क, वाद या अन्य कोइ भूगतान किसी भी नाम से हो, की वसूली करना।

(xxxv) सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का निस्तार।

11. **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की शक्तियाँ । –**

(i) अन्य किसी विधि द्वारा प्रतिपादित प्रावधानों में प्रतिकूल व्यवस्था रहने पर भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को किसी परियोजना के हित में अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी। इस प्रकार की अनुमति राज्य स्तरीय संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक संस्था या प्राधिकारों पर बाध्यकारी एवं निर्णायक होगा।

(ii) किसी विधि द्वारा प्रतिपादित प्रावधानों में प्रतिकूल व्यवस्था रहने पर भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, सरकारी अभिकरण, स्थानीय निकाय, या अन्य कोई निकाय या विकासकर्त्ता या व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत परियोजना को क्रियान्वयन करने या इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने का निदेश दे सकता है और ऐसे सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय या विकासकर्त्ता या व्यक्ति निदेश अनुपालन के लिए बाध्य होंगे।

(iii) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को शक्ति होगी कि वो किसी सरकारी अभिकरण, स्थानीय निकाय, विकासकर्त्ता या व्यक्ति से सूचना, विवरणी, दस्तावेज तथा अन्य कोई विवरणी इस परियोजना के संबंध में माँग सकता है। ऐसी विवरणी सरकारी अभिकरण, स्थानीय निकाय, विकासकर्त्ता, व्यक्ति अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु वाध्य होंगे।

(iv) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को निरीक्षण, स्थल का भ्रमण, समीक्षा एवं परियोजना के अनुश्रवण और इसके क्रियान्वयन, सम्पादन, परिचालन एवं प्रबंधन अपने पदाधिकारी या पदाधिकारियों के माध्यम से करने की शक्ति प्रदत्त होगी और व्यक्ति जो परियोजना प्रभारी हैं, आधारभूत संरचना विकास को पूर्ण सहयोग देने को बाध्य होगा।

(v) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यकलापों के सम्पादन की पूर्ण शक्ति होगी।

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र के सुनिश्चित विकास, मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित और उस क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उसकी अनुसंगी सुख–सुविधाओं के लिए प्राधिकार उत्तरदायी होगा।

(vii) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को भूमि या अन्य कोई क्षेत्रीय विकास से संबंधित भूमि आवंटन, भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, आवंटन रद्द करने की शक्ति प्रदत्त होगी।

(viii) उपर्युक्त बिन्दुओं के प्रयोजनार्थ प्राधिकार को आवश्यक नियम बनाने की शत्ति प्रदत्त होगी। इसके लिए बिहार–उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 196–197, 198–199, 200–201 और 202 में यथा विर्निदिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ होगी।

(ix) सभी राशि जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगा, को बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन भू–राजस्व के बकाये के अधीन वसूल किया जायेगा।

(x) प्राधिकार को अपने वित्तीय शक्ति के प्रयोजनार्थ, प्रशासन, स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र विकास या विकास से संबंधित विकास के लिए सौंपे गये कार्यों का कार्यान्वयन,

इत्यादि के लिए नियमावली / विनियम तैयार करने की शक्ति प्रदत्त होगी।

12. **सरकार को प्रतिवेदन**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार सरकार को अपने कार्यकलाप एवं परिचालन के संबंध में त्रैमासिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

अध्याय – III

आधारभूत संरचना, परियोजना सम्पादन प्रकिया

13. **सहभागिता**। – किसी निजी क्षेत्र के भागीदार इस अधिनियम के अन्तर्गत आधारभूत परियोजना के वित्तीय, निर्माण, रख–रखाव, परिसंचालन एवं प्रबंधन में भाग ले सकता है।

14. **परियोजना की पहचान**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय किसी आधारभूत संरचना परियोजना को चिन्हित या परिकल्पित कर सकता है। अगर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार किसी परियोजना को चिन्हित या परिकल्पित करता है तो उसे प्राधिकार द्वारा सम्बन्धित सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय को उनके विचार एवं अग्रेत्तर कार्रवाई के लिये प्रेषित करेगा। अगर सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय किसी आधारभूत संरचना परियोजना को चिन्हित करता है तो उसे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को विचार, मूल्यांकन एवं यथा आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित करेगा।

15. **प्राथमिकीकरण**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार परियोजनाओं की मांग एवं आपूर्ति अन्तर, आन्तरिक लिंकेज और अन्य कोई प्रसांगिक मापदंड के आधार पर प्राथमिकता अंकित करेगें एवं परियोजना बैंक तैयार करेगें।

16. **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की अनुशंसाएँ**। –सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के परामर्श, अनुशंसाएं एवं सुझाव के अनुरूप परियोजना को प्रस्तावित रियायती एकरारनामा सहित सरकार को इनके विचार एवं स्वीकृति हेतु भेजेगा।

17. **सरकार की मंजूरी**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामा पर सरकार विचार करेगी एवं/या प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामे को संशोधन या बिना संशोधन के, स्वीकार करेगी या प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामा को सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय को पुनर्विचार हेतु वापस करेगी या प्रस्ताव को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत अस्वीकृत करेगी। सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामा के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय पर उचित कार्रवाई की जायेगी, जिसमें प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामा, सरकार द्वारा सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय को पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने पर संशोधन एवं पुनर्उपस्थापन भी सम्मिलित होगा परन्तु, बिड्डर जिनका प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है, परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति में नहीं होने पर, सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय के अनुरोध पर एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के अनुमोदन पर सरकार द्वितीय न्यूनतम दर के प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार कर सकती है।

18. **परामर्शी का चयन**। – किसी परियोजना के लिए सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय परामर्शी के चयन में समुचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करायेगी एवं परामर्शी द्वारा अध्ययन हेतु शर्त्तो का निर्धारण करेगी। कोटि–II की परियोजनाओं के सम्बन्ध में शर्त्तों का निर्धारण करेगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को स्वीकृति एंव संशोधन के लिए प्रस्तुत करेगी, यदि

आवश्यक हो तो, ऐसे चयन प्रक्रियाओं में तकनीकी क्षमताओं को समुचित महत्व दिया जायेगा।

19. **विकासकर्त्ता का चयन**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय, विकासकर्त्ता चयन हेतु उचित प्रक्रिया अपनायेगी जिसमें निम्न प्रक्रियाएँ सम्मिलित होंगीः–

I. सीधी बार्ता

(i) सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय बिडर के साथ निम्नांकित के कार्यान्वयन के लिये वार्त्ता कर सकेगी :–

(क) कोटि–I की परियोजनाएं जो बिडर द्वारा प्रारम्भ किया गया हो।

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिसमें स्वामित्व प्रावैद्यिकी या फ्रेंचाइज विश्व भर में मात्र बिडर के पास हो।

(ग) ऐसी परियोजनाएं, जिनके लिये पूर्व में स्पर्धात्मक बिड प्रक्रिया द्वारा उचित विकासकर्त्ता का चयन नहीं किया जा सका हो या

(घ) ऐसी परियोजनाएं, जो सामाजिक आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र में निर्धारित है, जहाँ नन–प्रोफिट संस्था परियोजना का विकास करना चाहती हो।

(च) ऐसे लिंकेज आधारभूत संरचना परियोजना जो सम्बन्धित मेगा आधारभूत संरचना परियोजना से जोड़ने के लिये हो।

(ii) यदि विकासकर्त्ता सीधी वार्त्ता द्वारा चयनित किया जाता है, तो सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय वित्तीय प्रस्ताव पर पुनः वार्त्ता कर सकती है या अनुशंसा कर सकती है कि अग्रत्तर परियोजना के सभी क्रय स्पर्धात्मक बिडींग एवं क्रय प्रक्रिया के अनुरूप होगा और परियोजना के व्यय ऐसे स्पर्धात्मक बिडींग क्रय प्रक्रिया के बाद तथा परियोजना के पुनरीक्षित व्यय पर आधारित वित्तीय प्रस्ताव पर पुनः वार्त्ता किया जायेगा।

II. स्वीस चैलेंज एप्रोच

(i) कोटि–II की परियोजनाएँ जिनके प्रस्तावक निजी क्षेत्र के भागीदार हैं एवं इन्हें इस अधिनियम में मूल प्रस्तावक के रूप में चिन्हित किया जाएगा, के संबंध में, "स्वीस चैलेंज एप्रोज" प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(ii) मूल प्रस्तावक सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय को निम्नांकित विवरणी प्रस्तुत करेगाः–

(क) प्रस्तावक के तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमता की विवरणी।

(ख) प्रस्ताव के संबंध में तकनीकी, वित्तीय एवं वाणिज्यिक विवरणी।

(ग) रियायती सुविधा एकरारनामा के सिद्धांत।

(iii) सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा पहले मूल प्रस्तावक की तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमता का यथा निर्धारित मूल्यांकन किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मूल प्रस्तावक की क्षमताएँ परियोजना के कार्यान्वयन के

लिये समुचित है।

(iv) सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंदर स्वतः भेजे गये प्रस्तावों को उनके मूल्यांकन सहित आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा।

(v) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय के परियोजना मूल्यांकन के साथ मूल प्रस्ताव की तकनीकी, वाणिज्यिक एवं वित्तीय पहलुओं की जांच कर यह देखा जायेगा कि परियोजना के विस्तार एवं पैमाना राज्य की आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं और रियायती एकरारनामा में प्रस्तावित जोखिम वहन सरकार द्वारा इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिये अपनाई गई मापदंड के अनुरूप है या नहीं और सरकार के दीर्घकालीन उद्धेश्यों के अनुरूप है या नहीं।

(vi) अगर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामा के तकनीकी, विस्तार, पैमाना एवं जोखिम वहन पहलुओं पर संशोधन की अनुशंसा करता है तो मूल परियोजना प्रस्तावक उसपर विचार कर संशोधनों को सम्मिलित करते हुए पुनः निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(vii) अगर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार में स्वतः प्राप्त प्रस्ताव योग्य पाया जाता है तो सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय को स्वीस चैलेन्ज एप्रोच के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा प्रति प्रस्ताव हेतु आमंत्रण के लिये समुचित सूचना प्रकाशित कर सकता है। मूल परियोजना प्रस्तावक को अवसर प्रदान किया जायेगा कि वे उससे अच्छी प्रतिस्पर्द्धा प्रति प्रस्ताव से मैच करा सके। अगर मूल परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव प्रतिस्पर्द्धा प्रति प्रस्ताव से मैच या उससे अच्छा पाया जाता है तो मूल प्रस्तावक को कार्यादेश दिया जायेगा अन्यथा उस बीडर को जो प्रति प्रस्ताव दिया है को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु चयन किया जायेगा।

(viii) परियोजना, मूल परियोजना प्रस्तावक को नहीं दिये जाने तथा दूसरे किसी बीडर को दिये जाने की स्थिति में सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय मूल प्रस्तावक को स्वतः दिये गये प्रस्ताव एवं रियायती एकरारनामा की तैयारी में हुए व्यय की उचित प्रतिपूर्ति करेगा। मूल प्रस्तावक द्वारा तैयार किये गये स्वतः प्रस्ताव तथा रियायती एकरारनामा संबंधित अभिकरण या स्थानीय निकाय की सम्पत्ति होगी।

(ix) स्वतः प्रस्ताव तथा रियायती एकरारनामा बनाने में हुए उचित व्यय का निर्धारण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा जो मूल परियोजना प्रस्तावक पर बाध्य होगा।

III. प्रतिस्पर्धात्मक विडिंग

20. **कॉन्ट्रैक्ट सिद्धान्तों की स्वीकृति**। – यदि किसी प्रक्षेत्र के लिए आदर्श संविदा नहीं अपनाई गई है या किसी प्रक्षेत्र के स्वीकृत मॉडल के लिए आदर्श संविदा से भिन्नताएँ प्रस्तावित है तब आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार संविदा सिद्धान्तों को बनाएगा या स्वीकृत करेगा।

21. **चयन सिद्धान्त**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय सर्वप्रथम विकासकर्त्ता की तकनीकी योग्यता से संतुष्ट होने के पश्चात परियोजना को लेगे एवं कार्यान्वित करेंगे और निम्न सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे :–

(क) बिल्ड, ओन, ओपरेट एण्ड ट्रांसफर, बिल्ड ओपरेट एण्ड ट्रांसफर तथा बिल्ड ओन एण्ड ओपरेट परियोजनाओं के संबंध में विकासकर्त्ता का चयन प्रतिस्पर्द्धात्मक बिडिंग के माध्यम से करने के लिए निम्न सिद्धान्तों में से एक या एक से अधिक संयुक्त सिद्धान्तों को अपनाएँगेः–

(i) उपभोक्ता शुल्क की वर्तमान मूल्य के आधार पर न्यूनतम बिड;

(ii) सरकार के राजस्व का अधिकतम हिस्सा;

(iii) प्रारंभ में अधिकतम शुल्क का भुगतान;

(iv) निम्नतम रियायती अवधि;

(v) वर्तमान अनुदान का न्यूनतम मूल्य;

(vi) निश्चित पैमानेवाले परियोजनाओं के लिए परिचालन एवं प्रबंधन व्यय;

(vii) उच्चतम इक्विटी प्रीमियम; एवं

(viii) याचित राजकीय सहायता की मात्रा।

(ख) बिल्ड ट्रान्सफर, बिल्ड लीज तथा ट्रान्सफर और बिल्ड ट्रान्सफर तथा लीज स्मेंम परियोजनाओं के चयन में प्रयोग किये गये चयन सिद्धान्त राज्य सरकार के वर्तमान भुगतेय मूल्य का न्यूनतम होगा।

(ग) अन्य किसी तरह का चयन सिद्धान्त जो आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्धारित या स्वीकृत होगा।

22. **एक मात्र बिड का क्रियान्वयन**। – यदि इसमें प्रतिस्पर्धात्मक एकल बिड प्राप्त होता है तो सरकारी अभिकरण या सरकारी निकाय आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के परामर्श से या निम्न के अनुसार निर्णय लेगाः–

(i) एकल विड को स्वीकार करना; या

(ii) वित्तीय प्रस्ताव पर पुर्नवार्त्ता करना (Re-negotiate);

(iii) एकल विड को अस्वीकृत करना।

23. **सीमित प्रस्ताव का क्रियान्वयन**। – प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया में बिडर्स द्वारा कम अभिरूची व्यक्त करने की स्थिति में एवं यदि एकल बिड भी नहीं प्राप्त होता है तो सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से विमर्श कर निम्नांकित कार्रवाई करेगाः–

(i) पूर्व के निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन, जोखिम वहन प्रावधान और बिड प्रक्रिया पुनः शुरू करना; या

(ii) प्रतिस्पर्धात्मक विड प्रक्रिया को निरस्त करना; या

(iii) उप धारा (ii) की स्थिति में निजी क्षेत्र के भागीदार के साथ सीधी वार्त्ता करना।

24. **कन्सोरटियम द्वारा समर्पित बिड का क्रियान्वयन** । – (i) सभी कन्सोरटियम सदस्यों द्वारा सहमति एवं प्रस्तावित अंशदान की राशि सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. संलग्न कर प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) पूर्व के चयनित कंसोरटियम के मुख्य सदस्य को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की अनुमति के बिना प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा एवं मुख्य कंसोरटियम सदस्य, कम्पनी के अधिग्रहण एवं विलयन के सम्बन्ध में ऐतद् संबंधी प्रस्ताव विचारणीय होगा। बिडिंग कंसोरटियम को किसी परियोजना कार्यान्वयन के लिए चयन किया जायेगा एवं कंसोरटियम के मुख्य सदस्य किसी निर्धारित अवधि के लिए 26% इक्विटी अंशदान में निवेश करेगा जैसा कि क्षेत्रीय नीति या रियायती एकरारनामा में होगा।

(iii) अन्य कंसोरटियम सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होगी बशर्त्ते कि कंसोरटियम मूल बिड या प्रस्ताव के मूल्यांकन के क्रम में निर्धारित सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(iv) किसी प्रकार का हिस्सा पूंजी या कंसोरटियम की संरचना में परिवर्त्तन आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की सहमति से होगा।

25. **कल्पित बिड**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की सहमति से किसी भी अवास्तविक या काल्पनिक बिड को अमान्य करने एवं अस्वीकृत कर सकेगा।

26. **वित्तीय अथवा वाणिज्यिक प्रस्ताव पर वार्ता नहीं**। – इस अधिनियम में अन्यथा प्रस्ताव उपबन्धित नहीं हो तब तो सरकार या सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय बिडर से समर्पित प्रस्ताव के वित्तीय एवं वाणिज्यिक पहलूओं पर विचार विमर्श कर सकेगा।

27. **बिड प्रतिभूति**। – (i) बिडर को बिड प्रतिभूति आधारभूत परियोजना के प्रस्ताव के साथ समर्पित करना होगा। बिड प्रतिभूति राशि का निर्धारण सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना लागत के आधार पर किया जायेगा।

(पप) बिड प्रतिभूति की राशि को वापस करने की प्रक्रिया का उल्लेख प्रस्तावित परियोजना में ही दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में असफल बिडर का बिड प्रतिभूति, विकासकर्त्ता के चयन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर लौटाना होगा।

अध्याय – IV

जनजोखिम (जेनरिक रिस्क) की सूचना एवं आवंटन, प्रतिभूतिकरण, वित्त पोषक के अधिकार तथा सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ।

28. **जनजोखिम का खुलासा तथा इसका आवंटन एवं उपचार**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय यथा सम्भव परियोजना में सन्निहित विशिष्ट जोखिमों का उल्लेख करेंगे और सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय और विकासकर्त्ता के बीच किये जाने वाले रियायती एकरारनामा या अन्य संविदा के ऐसे जनजोखिमों की सूची के निराकरण का उल्लेख करेंगे, सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय जनजोखिमों के सम्बन्ध में समुचित सूचना उपलब्ध करायेगी परन्तु, सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय परिस्थिति या परिस्थिति विशेष के कारण नियन्त्रण नहीं होने के आधार पर या असावधानीवश कोई जोखिम का उल्लेख नहीं हो सका तो यह विकासकर्त्ता द्वारा किसी प्रकार के दावा या माँग का आधार नहीं हो सकेगा।

29. **प्रतिभूतिकरण की सुविधा**। – किसी परियोजना के सफलीभूत कार्यान्वयन, सम्पूर्त्ति, कार्यरत रखने, प्रबंधन एवं नियंत्रण की सुनिश्चितता के लिये सरकार या आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्धारित शर्त्तों के आधार पर सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय विकासकर्त्ता को परियोजना से प्राप्त योग्य राशि एवं परियोजना की सम्पत्ति को वित्त पोषक के पक्ष में प्रतिभूतिकरण के लिये सुविधा प्रदान कर सकता है।

30. **वित्त–पोषक का अधिकार**। – ऋणदाता, विकासकर्त्ता एवं परियोजना को प्राप्त होनेवाली राशि उपभोक्ता शुल्क के रूप में वसूल कर सकेगा एवं विकासकर्त्ता द्वारा परियोजना को पूरा करने में या कार्यान्वित करने में परियोजना की सम्पूर्त्ति अथवा कार्यान्वयन के चूक की स्थिति में ऋणदाता को सरकार की अनुमति के उपरान्त विकासकर्त्ता को प्रतिस्थापित करने का अधिकार प्राप्त होगा एवं ऐसे प्रतिस्थापित विकासकर्त्ता को सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय या प्राधिकार की सहमति से पूर्ववर्त्ती विकासकर्त्ता के लिए निर्धारित शर्त्तों एवं मापदंड अथवा संशोधित शर्त्तों एवं मापदंडों में जो कि प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो, के आधार पर नियुक्त कर सकेगा।

31. **सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली सुविधा**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय विकासकर्त्ता को परियोजना स्थल पर निर्माण के समय यथा निधारित शर्त्तों पर विद्युत एवं जल के प्रबंधन सम्बन्धी राज्य स्तर के वैधानिक अनुमति की सुविधा उपलब्ध कराएगी और परियोजना से संबंधित पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास गतिविधियों के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति तथा सहायता प्राप्त करने हेतु सक्रिय समर्थन प्रदान करेगी।

अध्याय – V
विवाचक बोर्ड

32. **बोर्ड की स्थापना**। – सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि के प्रभाव से एक बोर्ड का गठन करेगा जो विवाचक बोर्ड के नाम से जाना जाएगा।

33. **बोर्ड की संरचना**। – विवाचक बोर्ड में तीन सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य जो आधारभूत संरचना या वित्त या बैंकिग या विधि क्षेत्र के विशेषज्ञ होगें।

34. **मुख्यालय**। – बोर्ड का स्थायी मुख्यालय पटना होगा और अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक होगी।

35. **सदस्यों की काल अवधि**। – नियुक्ति की तिथि से बोर्ड के सदस्यों की काल अवधि तीन वर्षो की होगी। राज्य सरकार किसी सदस्य या सदस्यों को अतिरिक्त तीन वर्षों की काल अवधि के लिए पुनः नियुक्त कर सकेगी।

36. **नियुक्ति की शर्तें**। – सदस्यों की नियुक्ति शर्तें, वेतनादि एवं अन्य सुविधाएँ सरकार द्वारा यथा निर्धारित होंगी।

37. **बोर्ड के कार्यकलाप**। – (1) इस अधिनियम या रियायत एकरारनामा के अन्तर्गत होने वाले विवादों का सौहार्दपूर्ण निस्तार स्वतंत्र एवं निपक्ष रूप से होने के लिए सरकारी अभिकरण, स्थानीय निकाय, किसी विकासकर्ता को सहायता प्रदान करना।

(2) विवाचक बोर्ड उद्देश्यों की पूर्त्ति में वस्तुनिष्ठ, निष्पक्षता, पक्षकारों का दायित्त्व, व्यापार की प्रथा, पक्षकारों के बीच राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर निपटारा किये जाने वाले अच्छे व्यवसायिक कार्य प्रणाली के सिद्धान्तों से निर्देशित होगा।

(3) विवादों के त्वरित गति से निस्तार एवं पक्षकारों के अनुरोध एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड विवाचक कार्यवाही का संचालन इस तरीके से करेगा जैसा वह उचित समझेगां

(4) विवाचक कार्यवाही के किसी भी स्तरपर विवाचक बोर्ड विवादों के निपटारे के लिए प्रस्ताव रख सकता हैं। ऐसे प्रस्ताव लिखित रूप में एवं कारणों सहित होने की आवश्यकता नही है

परन्तु इस अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर अन्य प्रक्रियाओं के लिए अर्बिटरेशन एन्ड कान्सिलेसन एक्ट 1996 (1996 का 26) प्रभावी माना जायेगा।

38. **प्रशासनिक सहायता**। – विवाचक कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन के लिए विवाचक बोर्ड

पक्षकारों की सहमति से किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति की सहायता या प्रशासनिक सहायता का प्रबंध कर सकता है।

39. **बोर्ड की शक्ति**। – सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के अधीन सिविल कोर्ट को प्रदत्त सारी शक्तियॉ विवाचक बोर्ड की कार्यवाही के प्रसंग में निम्न विषयों के लिए प्रदत्त होगी।

(i) किसी पक्ष या साक्ष्य को नोटिस निर्गत करने तथा उपस्थिति के लिए बाध्य करना एवं साक्ष्य का परीक्षण करना;

(ii) किसी दस्तावेज या अन्य प्रमाण को साक्ष्य के रूप में प्रकट करना एवं प्रस्तुत करना

(iii) साक्ष्य को स्वीकार करना;

(iv) किसी उपयुक्त फर्म या प्रयोगशाला या अन्य प्रासंगिक श्रोतों से किसी के प्रतिवेदन या विश्लेषण या निर्णय की मॉग करना;

(v) अपनाये जाने वाले प्रक्रिया, नियमन की शक्ति का प्रयोग करना तथा नियमों को निर्धारित करना;

(vi) अन्य कोई मामला जो निर्धारित हो;

40. **न्यायिक कार्यवाही**। – विवाचक बोर्ड के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड विधान अधिनियम 1860 के धारा 193 एवं 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी एवं भारतीय दंड विधान अधिनियम की धारा 195 के अन्तर्गत तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अध्याय XIV के अन्तर्गत सिविल कोर्ड समझा जाएगा।

41. **आवेदन एवं दायरा**। – कोई विवाद, दावा या सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय और विकासकर्त्ता के बीच के किसी रियायती एकरारनामा या संविदा के संबंध में उत्पन्न मतभेद, दावा या विवाद यथासंभव पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारित नहीं होने की स्थिति में विवाचक बोर्ड के समक्ष लाया जा सकेगा। वह पक्षकार जो विवाचक कार्यवाही प्रारम्भ करता है, उसके द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित विवाचन हेतु लिखित आमत्रण देगा जिसमें संक्षेप में मतभेद, दावा अथवा विवाद का विषय उल्लिखित होगा एवं वह पक्षकार विवाचक बोर्ड के समक्ष लिखित आमन्त्रण को विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – VI
आधारभूत संरचना निधि

42. **निधि की स्थापना**। – सरकार एक निधि का स्थापना करेगी जो आधारभूत संरचना परियोजना फंड कहलायेगाा और इस निधि को 1000 लाख रूपये अंशदान उपलब्ध करायेगा । सरकार समय–समय पर आगे भी निधि में यथा आवश्यक अंशदान देगी ।

43. **निधि में शुल्क एवं भार**। – सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय विकासकर्त्ता से रियायति

एकरारनामा के अन्तर्गत समय–समय पर यथा निधार्रित परियोजना आवेदन भार एवं परियोजना फीस लगायेगी, जो निधि में जमा होगा।

44. **निधि का प्रवंधन**। – संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निधि का प्रशासन एवं प्रबंधन किया जायेगा एवं संरचना विकास प्राधिकार निधि के व्यवस्था, नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए पदाधिकारी या पदाधिकरियों को नियुक्ति करने का हक होगा।

45. **निधि की उपयोगिता**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, अधिनियम के उद्धेश्य एवं प्रयोजन के प्राप्ति के लिये निधि का प्रयोग और समय–समय पर अधिनियम के उद्धेश्य एवं परियोजन को मूर्तरूप देने के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के क्रिया–कलाप का वित्त पोषण करेगा ।

46. **निधि का प्रवर्त्तन**। – निधि का प्रवर्त्तन संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा एवं नाम से होगा।

47. **निधि की नीति का सूत्रण एवं विनियमन**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार नीति का सूत्रण करेगा और निधि के वित्त पोषण, कार्य, प्रशासन एवं प्रबंधन को विनियमित करेगा।

48. **निधि का अंकेक्षण प्रतिवेदन**। – निधि का संचालन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विषयधीन होगा । आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार प्रत्येक वर्ष निधि के कार्य एवं संचालन संबंधी प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगा जिसे सरकार बिहार विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

अध्याय – VII

विविध

49. **सरकार का नियंत्रण**। – (1) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, अधिनियम के अधिन सरकार द्वारा समय–समय पर निर्मित नीति एवं मार्ग निदेश के अनुरूप, अपने शक्ति प्रयोग एवं कार्य का अनुपालन करेगा तथा अधिनियम के दक्ष प्रशासन तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत इस तरह के निदेशों को मानने को वाध्य होगा।

(2) यदि अधिनियम के अधीन आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार कार्य के अनुपालन के क्रम में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार एवं सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, सरकार इस मामले पर निर्णय लेगी एवं सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

50. **पारदर्शिता**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अपनी शक्ति के प्रयोग तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

51. **दुरूपयोग दण्ड**। – (1) रियायती एकरारनामा में विकासकर्त्ता को स्वीकृत अधिकार का अगर किसी प्रकार दुरूपयोग होता है तब आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार दुरूपयोग के लिए दुरूपयोग दंड लगा सकेगा।

परन्तु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार इस धारा के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पूर्व विकासकर्त्ता को लिखित कारण पृछा कि उनपर इस तरह का दुरूपयोग दंड क्यों नहीं लगाया जाय की सूचना देने की तिथि से 15 दिनों से कम का अवसर नहीं देगा।

(2) रियायती एकरारनामा में विकासकर्त्ता को प्रदत्त अधिकार के दुरूपयोग के निर्धारण का प्रावधान होगा। दुरूपयोग दंड आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

परन्तु इस अधिनियम के धारा 57 के प्रावधानों के अधीन लगाया गया दुरूपयोग दंड अन्तिम एवं निर्णायक होगा।

52. **प्रदूषण दण्ड**। – (1) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को विकासकर्त्ता को प्रदूषित करने हेतं प्रदूषण दंड लगाने की शक्ति होगी, अगर विकासकर्त्ता पर्यावरण को प्रदूषित करता है तथा रियायत एकरारनामा में विनिर्दिष्ट कार्य करने के उपायों का पालन नहीं करता है।

(2) इस धारा के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार विकासकर्त्ता को कारण पृच्छा की लिखित सूचना देने कि इस तरह का प्रदूषण दंड विकासकर्त्ता पर क्यों नही लगाया जाय, की तिथि से 15 दिनों से कम का अवसर नहीं देगा।

(3) प्रदूषण भार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

परन्तु अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों के अधीन लगाया गया प्रदूषण दंड अंतिम एवं निर्णायक होगा।

53. **अपील।** – (1) अधिनियम की धारा 11, 51 तथा अथवा धारा 52 के अधीन आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुरूप सरकार के पास अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा ।

54. **विकासकर्त्ता द्वारा क्षतिपूर्ति।** – विकासकर्त्ता सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार को प्रारूपण, विनिर्माण, रख–रखाव तथा परियोजना के संचालन में किसी दोष के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा तथा इस मद में पूरी लागत, कीमत, खर्च, हानि एवं क्षति की प्रतिपूर्त्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।

55. **कीमत, खर्च, बकाया, शुल्क एवं दंड की वापसी।** – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकार या विवाचक बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें देय सभी राशि वापस लेने के लिए अधिकृत होगा जो कि उन्हें कीमत, खर्च, बकाया, शुल्क, अथवा दंड के रूप में देय होगा।

56. **दंड एवं खर्च लागू किया जाना।** – इस अधिनियम के अन्तर्गत कीमत, खर्च, शुल्क तथा दंड अधिरोपित करने वाला आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा विवाचक बोर्ड ऐसा निदेश दे सकता है कि पूर्ण राशि अथवा उसका एक हिस्सा कार्यवाही की कीमत के रूप में अदा किया जाना है ।

57. **शास्ति।** – (i) अगर कोई अधिनियम के किसी प्रावधानों अथवा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के आदेश या निदेश को लागू नहीं करता है अथवा इसका उल्लंघन करता है तो वह इस तरह के प्रत्येक विफलता या भूल या उल्लंघन के लिए दंड का भागी होगा जो कि रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार) से कम नहीं होगा, परंतु अधिकतम रूपये 1,00,00,000/– (रूपये एक करोड़) हो सकेगा अथवा कम से कम एक महीना तथा अधिकतम तीन वर्ष का कारावास अथवा दोनों होगी ।

(ii) यदि कोई अधिनियम के किसी प्रावधानों अथवा बोर्ड के आदेश या निदेश को लागू नहीं करता है अथवा इसका उल्लंघन करता है तो वह इस तरह के प्रत्येक विफलता के या भूल या उल्लंघन के लिए दंड का भागी होगा जो कि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक हो सकेगा अथवा कम से कम एक महीना तथा अधिकतम दो वर्ष का कारावास अथवा दोनों होगा ।

58. **कंपनियों द्वारा अपराध।** – (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा किये गये अपराध के लिये कम्पनी तथा अपराध के समय कार्यो के सम्पादन के प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति अपराध के लिये दोषी माने जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही एवं दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। परंतु इस उपधारा के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति दण्ड के पात्र नहीं होंगे अगर वे सिद्ध कर सकें कि अपराध उनके संज्ञान के बिना हुआ या ऐसे अपराध गठित नहीं होने के लिये उनके द्वारा समुचित प्रयास किया गया ।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान होने पर भी, यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध, सहमति या उपेक्षा के कारण होता है और यह अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कोई पदाधिकारी की उपेक्षा के कारण हुआ हो, तो ऐसे पदाधिकारी यथा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कोई पदाधिकारी को भी उक्त अपराध के लिए दोषी माना जायेगा और

उनके विरूद्ध कार्रवाई एवं दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी।

व्याख्याः— इस धारा के लिए

(क) ''कम्पनी'' से अभिप्रेत है कोई कॉरपोरेट बॉडी एवं इसमें फॉर्म या व्यक्तियों का समूह तथा

(ख) 'किसी फर्म के निदेशक से अभिप्रेत है किसी फर्म के भागीदार।

59. **अपराध शमन की शक्ति**। — आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार तथा विवाचक बोर्ड लिखित कारणों को उद्धृत करते हुए कार्रवाई प्रारम्भ होने के पहले अथवा बाद में अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित किसी अपराध का शमन कर सकेगा।

60. **अपराध का संज्ञान**। — (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिये कोई न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकेगा जबतक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अथवा सुलह बोर्ड के किसी पदाधिकारी द्वारा सामान्य अथवा विशेष रूप से, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या विवाचक बोर्ड जो भी संबंधित है, द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर उल्लिखित रूप में शिकायत दायर किया हो और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायायिक दण्डाधिकारी अथवा इसके उपर के न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय द्वारा इस तरह के अपराध के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

(2) न्यायालय अगर ऐसा समझती है तो शिकायत दर्ज करने वाले आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अथवा विवाचक बोर्ड के पदाधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकती है।

61. **भिन्न कार्रवाई हेतु बिना पूर्वाग्रह के दंड एवं कार्यवाही**। — इस अधिनियम के अन्तर्गत, इस अधिनियम अथवा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अथवा विवाचक बोर्ड द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही एवं कार्रवाई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रारंभ की गई कार्रवाई के अतिरिक्त एवं पूर्वाग्रह रहित होगी।

62. **सही भावना से की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण**। — आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या विवाचक बोर्ड या अध्यक्ष या आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या विवाचक बोर्ड के अन्य सदस्यों या आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या विवाचक बोर्ड के कर्मचारी या प्रतिनिधि के विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इससें संबंधित नियम या विनियम के अन्तर्गत पारित आदेश जो कि सद्‌भाव से कृत है, के लिए कोई वाद, दावा या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

63. **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार एवं सुलह बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी का लोक सेवक होना**। — आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार या विवाचक बोर्ड के अध्यक्ष अन्य सदस्य तथा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी जो कि अधिनियम के उदेश्यों एवं प्रयोजनों के निर्वहन के लिए नियुक्त किए गए हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा — 21 के तहत लोक सेवक माने जाएँगे ।

64. **अधिकारिता का वर्जन**। — अधिनियम के अन्तर्गत कोई आदेश, कार्यवाही, जिससे कि किसी परियोजना को आधारभूत संरचना परियोजना को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचित की गई हो, परन्तु इसीतक सीमित नहीं, वर्गीकरण या परियोजनाओं का प्राथमिकीकरन, रियायत एकरारनामा, बिड प्रक्रिया, विकासकर्त्ता का चयन, किसी प्रस्ताव में संशोधन, किसी प्रस्ताव की स्वीकृति, किसी परियोजना का कार्यान्वयन एवं निष्पादन, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की कार्रवाई,

सरकार या सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकार की कार्रवाई, बोर्ड की कार्रवाई, किसी पार्टी या व्यक्ति या समूह का किसी आधारभूत संरचना परियोजना से संबंधित शिकायत या आपत्ति, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अथवा सरकार अथवा बोर्ड के किसी आधारभूत संरचना परियोजना से संबंधित किसी कार्रवाई या निर्णय की वैधता, विधिता, प्रभावकारिता या अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले में, विवाद निपटारा या विवाद संकल्प केवल उच्च न्यायालय के समक्ष सुना जायेगा न कि उच्य न्यायालय से निम्न किसी न्यायालय/न्यायालयों जो उच्च न्यायालय के अधीन हो के द्वारा सुना जायेगा।

65. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति**। – (1) अधिनियम के प्रावधानों या नियमों या विनियमों, इसके अधीन निर्मित योजनाओं या आदेशों के कार्यान्वयन में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस तरह का प्रावधान कर सकती है जो कि अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो तथा उसे कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक अथवा उचित लगता हो।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित सभी आदेश पारित किए जाने के उपरांत राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा तथा विधान सभा द्वारा उस सत्र में अथवा बाद के सत्र में इसमें किए गए संशोधन जो कि सुधार या निरसन द्वारा किया गया हो, के अधीन होगा।

66. **विनियमन बनाने की शक्ति**। – आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार तथा विवाचक बोर्ड सरकार की सहमति से अपने कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु शासकीय गजट में अधिसूचित कर विनियम बना सकता है।

67. **नियम बनाने की शक्ति**। – (1) सरकार अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल 14 दिन की अवधि के लिये सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा जाता है या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जायं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जायं कि वह अधिसूचना वातिल की जानी चाहिये तो ऐसा अधिसूचना, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

68. **शक्तियों का प्रत्यायोजन**। – सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रयोज्य कोई शक्ति सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयोज्य हो सकेगा, यह इस तरह की अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्त्तों के अधीन होगा ।

69. **राज्य के अन्य नियमों पर अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव**। – राज्य के किसी अधिनियम में कोई प्रावधान जो इस अधिनियम के प्रावधनों के प्रतिकूल है तो इस अधिनियम के प्रावधान अध्यारोही प्रभावी होगा तथा इस तरह के राज्य अधिनियम के प्रावधान प्रतिकूलता की हद तक शून्य होगा।

अनुसूचि - I

[अनुभाग 2(ण) देखें]

सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा आधारभूत संरचना परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अपनी भिन्नता एवं सयोजन के साथ निन्नांकित रियायत एकरारनामा अथवा व्यवस्था किया जा सकता है । यहाँ वर्णित व्यवस्था संकेतात्मक प्रवृत्ति के हैं तथा सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार इस तरह के रियायत एकरारनामा अथवा व्यवस्था करने को अधिकृत होगें जिन्हें यहाँ वर्णित किया गया है अथवा कोई भिन्न व्यवस्था जो कि कोई परियोजना विशेष के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त पाया जायेगा ।

(i) निर्माण कर हस्ताकारिता करना (बी टी) एक संविदात्मक प्रबंध जिसमें विकासकर्त्ता आधारभूत संरचना अपना विकास सुविधा का वित्तपोषण एवं विनिर्माण करने तथा इसके पूरा होने पर सरकार, सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार को सौंपने का उत्तरदायित्व लेता है। सरकार, सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार सहमति प्राप्त अनुसूची के आधार पर पूरी परियोजना निवेश की प्रतिपूर्ति करेगा। यह व्यवस्था किसी आधारभूत संरचना अथवा विकास परियोजना के विनिर्माण, जिसमें नाजुक सुविधाएं जो कि सुरक्षा तथा रणनैतिक कारणों से सरकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रत्यक्ष संचालित किया जाने योग्य हो, में प्रयुक्त हो सकेगा।

(ii) निर्माण कर पट्टा देना तथा हस्तांतरित करना (बी. एल. टी.) एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें विकासकर्त्ता आधारभूत संरचना परियोजना का वित्तपोषण करने तथा निर्माण करने का उत्तरदायित्व लेता है तथा इसके पूरा होने पर इसे सरकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकार को तय अवधि के लिए पट्टा व्यवस्था पर देंगे, जिसके उपरान्त सुविधा की स्वामित्व अपने आप सरकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकार को हस्तांतरित हो सकेगा।

(iii) निर्माण कर–संचारल कर–तथा–हस्तांतरित करना (बी.ओ.टी.) एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें विकासकर्त्ता किसी आधारभूत संरचना सुविधा के विनिर्माण, वित्तपोषण सहित तथा उसके संचालन एवं रख–रखाव का उत्तरदायित्व लेता है। विकासकर्त्ता उस सुविधा का संचालन तय अवधि तक करेगा जिसमें उसे सुविधा का उपयोग करने वालों से समुचित राहदारी, शुल्क, किराया तथा प्रभार प्राप्त करने की अनुमति होगी, जो कि परियोजना में हुए निवेश की वसूली के लिए बिल में प्रस्तावित अथवा तय किए गए एवं संविदा में शामिल किए गए से अधिक नहीं होगी। तय किए गए अवधि की समाप्ति के उपरान्त, जो कि रियायत एकरारनामा में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, विकासकर्त्ता सुविधा को सरकार अथवा सरकारी अधिकरण अथवा संबंधित स्थानीय प्राधिकार को हंस्तांतरित करेगा। इसमें आपूर्ति–एवं–संचालन अवस्था शामिल होगा जो एक संविदात्मक व्यवस्था होगा जिसमें आधारभूत संरचना सुविधा के उपस्कर मशीनरी आपूर्त्तिकर्त्ता, अगर सरकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपेक्षित हो, प्रक्रिया तकनीक हस्तांतरण एवं सरकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा नामित वयक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सुविधा का संचालन किया जायेगा।

(iv) निर्माण करना–स्वामित्व प्राप्त करना–तथा संचालन करना (बो.यो.ओ)– एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें विकासकर्त्ता आधारभूत संरचना अथवा विकास सुविधा के वित्तपोषण विनिर्माण, स्वामित्व प्राप्त करने, संचालन तथा रख–रखाव करने को अधिकृत होंगे तथा जिससे विकासकर्त्ता अपना पूरा निवेश सुविधा का उपयोग करने वाले से सुविधा कर वसूल करने का अधिकृत होंगे। इस परियोजना के अन्तर्गत विकासकर्त्ता को सुविधा के अस्तियों का सवामित्व प्राप्त होगा तथा

वह सुविधा के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य किसी सुविधा संचालक को दे सकता है। इस संरचना में सुविधा का सरकार, सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार को हसतांतरण का उल्लेख नहीं है, तथापि सरकार, सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार निर्धारित अवधि के उपरान्त अपने दायित्वों को समाप्त कर सकता है।

(v) निर्माण करना– स्वामित्व प्राप्त करना–संचालन करना–हस्तांतरित करना (बी.ओ.ओ.टी.)– एक संविदात्मक प्रबंध जिसमें निर्माणकर्त्ता किसी परियोजना का वित्तपोषण करने, विनिर्माण करने, रख–रखाव करने तथा संचालन करने को अधिकृत हो तथा जिसमें इस तरह की परियोजना एक निर्धारित अवधि तक, विकासकर्त्ता में निहित हो। परियोजना में हुए निवेश की वसूली के लिए संचालन अवधि में विकासकर्त्ता को रियायत एकरारनामें में विनिर्दिष्ट उपयोग कर लगाने की अनुमति होगी। निर्धारित संचालन अवधि की समाप्ति के उपरान्त विकासकर्त्ता परियोजना को सरकार सरकारी अभिकरण, अथवा स्थानीय प्राधिकार को हस्तांतरित करने का भागी होगा।

(vi) निर्माण करना–हस्तांतरित करना–तथा–संचालन कना (बी.टी.ओ.) एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें सरकार अथवा सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार कोई आधारभूत संरचना सुविधा का संविदा लागत बढ़ने, देरी तथा विनिर्दिष्ट अनुपालन जोखिम की कल्पना के साथ किसी विकासकर्त्ता को टर्न की आधार पर देता हैं। जब सुविधा संतोषजनक ठंग से कृत हो जाता है तो एक रियायत एकरारनामें के तहत विकासकर्त्ता को सुविधा के संचालनएवं उपयोग–कर संग्रहीत करने का अधिकार दिया जाता है। इस व्यवस्था में सुविधा का स्वामित्व सदैव सरकार, सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार में निहित होता है।

(vii) संविदा करना–वृद्धि करना–तथा–संचालन करना (सी.ए.ओ.)–एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें विकासकर्त्ता किसी आधारभूत संरचना सुविधा जो कि वह सरकार, सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकार से किराए पर प्राप्त करता है, उसमें वृद्धि करता है तथा विस्तारीकृत परियोजना का संचालन करता है तथा हुए निवेश की वसूली के लिए करार किए गए विशेषाधिकार अवधि तक उपयोग–कर संग्रहीत करता है। विकासकर्त्ता द्वारा बढ़ाई गई सुविधा के लिए हस्तांतरण की व्यवस्था हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है।

(viii) विकास करना–संचालन करना–तथा–हस्तांतरित करना (डी.ओ.टी.)– एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें किसी नए आधारभूत संरचना परियोजना जिसे किसी विकासकर्त्ता द्वारा निर्मित की जानी है, के बाहर की अनुकूल परिस्थितियों को उस सत्ता का संलग्न संपत्ति विकसित करने तथा इस प्रकार निवेश से उत्पन्न कुछ फायदों का लाभ उठाने का अधिकार देकर बी.ओ.टी. व्यवस्था के साथ समेकित किया जाता है।

(पग) पुनर्वास करना–संचालन करना–तथा–हस्तांतरित करना (आर.ओ.टी.)– एक संविदात्मक प्रबंध जिसमें एक विद्यमान सुविधा को किसी निजी क्षेत्र को पुनर्सज्जित करने, संचालन करने (निवेश की वसूली के लिए संचालन अवधि में उपयोग–कर संग्रहीत करने) तथा विशंषाधिकार अवधि में रख–रखाव, जिसकी समाप्ति के उपरान्त सुविधा को सरकार, सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार को वापस किया जाता है। इस शर्त्त का उपयोग विदेशों से विद्यमान सुविधा की खरीद करने, आयात करने, पुनर्सज्जित करने, स्थापित करने तथा मेजवान देश में इसकी खपत करने में भी होता है।

(ग) पुनर्वास करना–स्वामित्व ग्रहण करना– तथा–संचालन करना (आर.ओ.ओ.)– एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें एक विद्यमान सुविधा को स्वामित्व पर बिना किसी काल सीमा के अधिरोपण के पुनर्सज्जित करने तथ संचालन करने हेतु सौंपा जाता है। जब तक कि संचालक अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, वह सुविधा का संचालन जारी रख सकता है तथा शाखत काल तक उपयोग–कर संग्रहीत कर सकता है।

अनुसूची - II

[धारा–2 (ज) देखें]

परियोजना की कोटि

सभी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को सरकार से अपेक्षित सहायता एवं स्वीकृत अधिकारों के सम्मेलन के आधार पर कौटिबद्ध किया जा सकता है। आधारभूत संरचाना विकास प्राधिकार की सहमति से सरकारी अभिकरण अथवा स्थनीय प्राधिकार उनकी वरीयता एवं अन्य आवश्यकता के अनुसार आगे कोई कोटि अथवा परियोजनाओं के संयोजन की कोटियों को विकसित कर सकता है। आधारभूत संरचना विकस प्राधिकार की सहमति से सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार निम्नांकित श्रेणियों में बांट सकता हैं।

1. कोटि–I परियोजनाः वैसी परियोजनाएं होगी जिनमें –

(i) आकस्मिकता देनदारी अथवा वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कोई आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता न हो,

(ii) बाजार मूल्य पर भूमि स्वीकृत करने पर भी परियोजना जीवनक्षम हो,

(iii) विकासकर्त्ता को कोई अनन्य अधिकार प्रदत्त न हो,

(iv) अल्प अंतर–संधि की आवश्यकता हो।

2. कोटि–II परियोजनाः वैसी परियोजनाएं होगी जिनमें –

(i) सरकार अथवा सरकारी अभिकरण को अस्ति समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता हो,

(ii) आकस्मिक देनदारियों अथवा प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता हो,

(iii) विकासकर्त्ता को अनन्य अधिकार प्रदत्त हो,

(iv) परियोजना हेतु जैसे कि जल संबंध आदि आवश्यक हो।

अनुसूची - III

[अनुभाग–2 (श) देखें]

प्रक्षेत्र

1. सड़क (राज्य उच्च पथ, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला पथ – ग्रामीण पथ), पुल एवं उपमार्ग
2. स्वास्थ्य
3. भूमि उद्धार
4. नहर, बांध
5. जल आपूर्त्ति, उपचार एवं वितरण
6. अपशिष्ट प्रबंधन
7. मल, जल–निकास अपवाद
8. सार्वजनिक बाजार
9. व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक केन्द्र
10. लोक भवन
11. अन्तर्देशीय जल परिवहन
12. गैस एवं गैस का कार्य
13. क्रीड़ा तथा मनोरंजन आधारभूत संरचना सार्वजनिक उद्यान एवं पार्क
14. स्थावर सम्पदा
15. कोई अन्य परियोजना अथवा प्रक्षेत्र जो कि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है।

अनुसूची - IV

[देखें अनुभाग 2(द)]

विशिष्ट जोखिम

रियायत एकरारनामे में जैसा किसी परियोजना के संबंध में लागू हो सरकारी अभिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकार खुलास करने, आवंटित करने तथा निम्नांकित जोखिम का उपचार करने का प्रयत्न करेंगे ।

I. विनिर्माण अवधि जोखिमः

(i) भूमि स्वामित्व हरण

(ii) लागत बढ़ना

(iii) वित्तपोषण लागत में बृद्धि

(iv) समय – गुणवत्ता जोखिम

(v) संवेदक चूक

(vi) विकास कर्त्ता चूक

(vii) चिन्हित किन्तु संबंधित कार्य का समय, लागत एवं विषय परिवर्तन प्राविषय तथा परिवर्त्तन

(viii) पर्यावरणीय क्षति–विद्यमान/चालू

II- संचालन अवधि जोखिमः

(i) सरकारी अभिकरण चूक

(ii) विकास कर्त्ता चूक

(iii) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार अथवा सरकार अथवा सरकारी अभिकरण द्वारा रियायत एकरारनामा की समाप्ति

(iv) पर्यावरणीय क्षति–विद्यमान

(v) श्रम जोखिम

(vi) प्रावैद्यिकी जोखिम

III- बाजार एवं राजस्व जोखिमः

(i) उपयोग–कर से अपर्याप्त आमदनी

(ii) सुविधा की अपर्याप्त माँग

IV. वित्त जोखिमः

(i) मुद्रास्फीति

(ii) सूद दर

(iii) मुद्रा जोखिम

V. कानूनी जोखिमः

(i) कानून में परिवर्तन

(ii) स्वामित्व/पट्टा अधिकार

(iii) सुरक्षा ढाँचा

(iv) विकास कर्त्ता का दिवालियापन

(v) वित्तीय दस्तावेजों का उल्लंघन

VI. विविध जोखिमः

(i) अकल्पित प्रत्यक्ष राजनीतिक बल

(ii) अकल्पित अप्रत्यक्ष रानीतिक बल

(iii) अकल्पित प्राकृतिक बल

(iv) जब्ती

(v) अनन्यता

(vi) विकास अनुमोदन

(vii) विरूद्ध सरकारी कार्रवाई/अकर्मन्यता

(viii) उपयोगिता का प्रावधान

(ix) कर में बृद्धि

(x) सरकार द्वारा रियायत की समाप्ति

(xi) सरकार द्वारा भुगतान मे विफलता

अनुसूची - V

[अनुभाग 2(क्ष) देखें]

राज्य समर्थन

सरकार वरीयता क्रम में सूचीबद्ध निम्नांकित राज्य समर्थन की स्वीकृति पर विचार करेगी:–

(i) प्रशासनिक समर्थन

(ii) अस्तियां समर्थन

(iii) राजस्व घाराओं का परित्याग

(iv) आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रतिभूति तथा

(v) वित्तीय समर्थन

i. राज्य सरकार अधिनियमके अन्तर्गत आवृत सभी परियोजनाओं को निम्नांकित प्रशासनिक समर्थन का प्रस्ताव करेगी,

(क) परियोजना के विकासकर्त्ता के नाम स्वीकृत किए जाने के उपरान्त विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कानूनी समाशोधन प्रदान किया जायेगा।

(ख) अगर कोई परियोजना विहित विनिर्देशों को पूरा करती है तो स्वतः अकानूनी समाशोधन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(ग) सभी केन्द्रीय समाशोधनों की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा समर्थन प्रदान करेगी।

(घ) सभी पुनर्वास एवं पुनर्वंदोवस्ती कार्यकलापों को कर विकासकर्त्ता से लागत की वसूली करेगी।

(ङ) परियोजना स्थल पर विनिर्माण उर्जा तथा पानी उपलब्ध कराएगी।

(च) अगर सरकार के पास परियोजना हेतु भूमि न हो तो उसका अधिग्रहण करेगी।

ii. अस्तियां आधारित समर्थन :

सरकार सरकार अधिनियम के अन्तर्गत आवृत्त सभी कोटि –II की परियोजनाओं को अस्तियां आधारित समर्थन प्रदान करेगी। कोटि –I की परियोजनाओं को अस्तियां आधारित समर्थन तभी मिल सकेगा यदि प्रक्षेत्र नीति में इस हेतु विशेष प्रावधान है। अस्तियां आधारित समर्थन में सम्मिलित है :–

(क) जहॉ स्वामित्व सरकार को वापस मिलनी है वहॉ सरकारी स्वामित्व की भूमि स्वीकृती से अधिकतम 33 वर्षों के रियायती पट्टा प्रभार पर परियोजनाओं के लिए दी जाएगी।

(ख) राज्य सरकार जोड़ने वाली आधारभूंत संरचना का विकास सुपुर्द करेगी/सरल बनाएगी

iii. राजस्व घाराओं का परित्याग :

सभी कोटि –II परियोजनाओं के मामले में सरकार राजस्व घाराओं का त्याग करेगी। कोटि–I परियोजनाओं के मामले में सरकार राजस्व घाराओं का परित्याग तभी करेगी जब परिक्षेत्र नीति में विशेष प्रावधान होगा। इस प्रकार का समर्थन निम्न रूप में होगा –

(क) परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित सभी लगाए जाने वाले पदार्थ पर कर में छूट।

(ख) सरकार से विकासकर्त्ता को जमीन के प्रथम हस्तांतरण एवं राज्य में निबंधित परियोजना एकरारनामा पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट।

(ग) निर्माण अवधि में मालिकाना शुल्क जैसे लघु खनिजों पर उपकर के भुगतान में छूट।

iv. प्रत्याभूतियां :

(क) सरकार कोटि –II परियोजना के मामले में प्राप्तियों की प्रतिभूति दे सकती है अगर वह उपयोगकर्त्ता से प्रत्यक्ष संग्रहित न किया जाता है।

(ख) सरकार अवकास प्रतिभूति दे सकती है अगर वह सेवा वितरक हो तथा उपयोगकर्त्ता कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी हो।

v. वित्तीय समर्थन :

(क) केवल कोटि –II परियोजनाओं के लिए हीं प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन पर विचार किया जायगा।

(ख) सरकार को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन की स्वीकृती हेतु अन्तिम अधिकार होगा।

(ग) आधारभूत संरचना प्राधिकार सुनिश्चित करेगा कि परियोजना का उचित संरचना निर्माण संभावित सीमा तक वित्तीय समर्थन की आवश्यकता को निरस्त करेगा।

(घ) जब भी वित्तीय समर्थन दिया जाना होगा वित्तीय समर्थन की सीमा चुनाव की एक कसौटी होगी।

यह विधेयक (आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) विधेयक, 2006) दिनांक–03 अप्रील, 2006 को बिहार विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक–03 अप्रील, 2006 को बिहार विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा दिनांक–04 अप्रील, 2006 को बिहार विधान परिषद् द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया।

(उदय नारायण चौधरी)
अध्यक्ष